मार्केटिंग / जनसंपर्क विभाग, 16वीं मंजिल, चन्दरमुखी, नरीमन पॉइंट, मुम्बई - 400 021.

केका:मार्केटिंग/पीआर:2021प्रेस:37 दिनांक : 08th,June 2021

प्रति,

वाणिज्यिक/बैंकिंग संपादक

मुम्बई.

महोदय/महोदया,

आपसे विनम्र अनुरोध है कि निम्नलिखित प्रेस विज्ञप्ति को आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र में प्रकाशित कर हमें अनुग्रहीत करें.

सादर,

भवदीय,

एस.एच.अयूबी
उप महाप्रबंधक- मार्केटिंग अधिकारी

आर.एल. नायक
सहायक महाप्रबंधक – पीआर/सीसीडी

प्रेस विज्ञप्ति

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ने महामारी को देखते हुए, मृतक दावों हेतु ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारम्भ की

महामारी के दौरान अनेक नागरिकों की अप्रत्याशित और असामयिक मृत्यु हुई है। बैंक खाते रखने वाले मृतक ग्राहकों के आश्रितों को लॉकडाउन और अन्य आवागमन प्रतिबंधों के कारण अपनी राशि का दावा करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। दावेदारों / विधिक उत्तराधिकारियों को दावों के निपटान के लिए शाखा में आने में आ रही कठिनाइयों को देखते हुए, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने मृतक दावों के सरल एवं झंझट मुक्त निपटान हेतु एक नई योजना प्राम्भ की है। दावों के लिए बैंक के टोल फ्री नंबर 1800221911 पर अनुरोध किया जा सकता है। हमारे बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in पर "व्हाट्स न्यू एण्ड अदर सर्विसेस (नया क्या है और अन्य सेवाएं)" के अंतर्गत भी अनुरोध किया जा सकता है। रु.1,00,000/- या दावा राशि का 50%, में जो भी कम हो, तक के दावे, सामान्य दावा प्रलेख प्राप्त होने पर तीन दिनों में निपटाये जायेंगे।

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx